क्रमांक 3178-5 जी. एस. I-76/13162

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मंडल, सभी उपायुक्त तथा उप मंडल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा।

दिनांक चंडीगढ़ 24 मई, 1976

विषय :—अभिवेदकों को personal hearing का अवसर देने के बारे में ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूं और कहूं कि सरकार के ध्यान में यह आया है कि जब किसी कर्मचारी द्वारा कोई अभिवेदन दिया जाता है जिस में personal hearing का अवसर दिये जाने के लिये अनुरोध किया गया हो तो विभागों द्वारा ऐसे अभिवेदन पत्र पर विचार करते समय कर्मचारी को personal hearding दिये जाने के बारे कोई टिप्पणी नहीं दी जाती । कृपया भविष्य में सुनिश्चित करें कि ऐसे प्रत्येक केस में आवश्यक टिप्पणी दी जाबे और यदि संबंधित कर्मचारी को personal hearing नहीं दी जानी हो तो इसके स्पष्ट आदेश संबंधित फाईल पर हों ।

2 कृपया इन हिदायतों को दृढ़ता से पालना हेतु अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाये ।

भवदीय,

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. बित्तायुक्त, हरियाणा सरकार सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. वित्तायुक्त हरियाणा सरकार सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 3178-5 जी. एस.-76/ दिनांक चंडीगढ़ 24 मई 1976